2015/00461

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 192/2015

1 शोकत अली आयु 52 वर्ष पुत्र हमीद खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 34 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 अब्दुल जब्बार पुत्र हमीद खां।
3 अयुब अली पुत्र हमीद खां।
4 मु. सगीरी पुत्री हमीद खां।
5 मु. सुबेदोलत पुत्री हमीद खां।
6 मु. आबिदा पुत्री हमीद खां।
7 मु. महमुदा पुत्री हमीद खां।
8 मु. हसमत बानो पत्नी अब्दुल सत्तार।
9 साजिद पुत्र अब्दुल सत्तार।
10 तहसीन पुत्र अब्दुल सत्तार।
11 मु. रूबिना पुत्री अब्दुल सत्तार।
12 मु. नफीसा पुत्री अब्दुल सत्तार समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 34 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू जरिये मुख्तयार खास शोकत अली आयु 52 वर्ष पुत्र हमीद खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 34 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 अब्दुल हफीज खां पुत्र अब्दुल मजीद खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 मोहम्मद अब्बास पुत्र जीवण खां जाति मुसलमान कायमखानी, निवासी मौहल्ला खोरा, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

3 मोहसीन पुत्र अब्दुल सत्तार।
4 सदाम पुत्र अब्दुल सत्तार समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 34 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
5 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दावा उनवानी शोकत अली बनाम अब्दुल हफीज खां वगैरह दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 118/2015 (99/15) निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2015

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहर लाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 07.09.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 118/2015 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्व जमीन हाल खसरा नम्बर 1199 सरहद कस्बा झुंझुनू के बाबत अदालत मातहत के यहां घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया। उक्त दावा में रेस्पोडेंट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का पेश किया जिसे अदालत मातहत ने दिनांक 02.11.2015 को स्वीकार कर अपीलांट्स के दावा को निर्णित कर खारिज किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सहमति से बहस हेतु तैयार होने पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये जाकर बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना अपीलांट वादीगण की अनुपस्थिति अंकित कर प्रतिवादी रेस्पोडेंट को एक पक्षीय सुनकर आदेश 7 नियम 11 का आवेदन स्वीकार कर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रकरण विचारण न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 पर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना अपीलांट वादीगण की अनुपस्थिति अंकित कर प्रतिवादी रेस्पोडेंट को एक पक्षीय सुनकर आदेश 7 नियम 11 का आवेदन स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का वाद खारिज कर दिया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधिक प्रकिया के विपरित है।

पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त नही किया हुआ था। ऐसी स्थिति में चूकिं प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है फलतः अपील संख्या 192/2015 में पारित स्थगन दिनांक 09.12.2015 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पर सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर आगामी एक माह में निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.09.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर